

राजेश कुमार, भा.प्र.से., आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में VC के माध्यम से दिनांक 14.01.2026 को 10:30 बजे पूर्वाह्न में आयोजित एग्री स्टैक (फार्मर रजिस्ट्री) योजना के समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित संयुक्त निदेशक (शष्य), पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया एवं जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् एग्री स्टैक (फार्मर रजिस्ट्री) के प्रगति की समीक्षा प्रारंभ की गई।

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये :-

• समीक्षा में एग्री स्टैक (फार्मर रजिस्ट्री) की जिलावार स्थिति निम्नवत पाई गई :-

Name of District	Total PM Kisan Beneficiaries	PM Kisan_e-Kyc	PM Kisan e-Kyc %	Other Farmer e-Kyc	Total e-Kyc	Pm Kisan FR	PM Kisan FR %	Other Farmer FR	Total FR	Total Approved (ID)	Pending FR at KC Level	Pending at Karamch ari Login For Approve	Pending at Revenue Officer /Circle Officer For Approve
Purnea	201010	113434	56.43	34048	147482	52436	26.09	20605	73041	39183	74441	18734	818
Katihar	205897	132138	64.18	24151	156289	58621	28.47	20261	78882	60119	77407	18812	49
Kishanganj	103464	48892	47.26	38100	86992	32808	31.71	11197	44005	24763	42987	14302	1776
Araria	278027	105546	37.96	90122	195668	61346	22.06	10323	71669	50776	21332	1675	136
Total	788398	400010	50.74	186421	586431	205211	26.03	62386	267597	174841	216167	53523	2779

उपरोक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रमंडलाधीन जिलों में फार्मर रजिस्ट्री हेतु E-Kyc लगभग 50 प्रतिशत लंबित है। साथ ही फार्मर आई0डी0 राजस्व कर्मचारी के लॉगिन में कार्रवाई हेतु लंबित पाया गया। जिला कृषि पदाधिकारी संबंधित अंचल कार्यालय से समन्वय स्थापित कर सभी मामलों का यथाशीघ्र निष्पादित करेंगे।

• एग्री स्टैक (फार्मर रजिस्ट्री) योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निदेश सभी जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया ताकि अधिक से अधिक किसान उक्त योजना के लाभ से अवगत हो सकें तथा किसान आई0डी0 बनाया जा सके।

• इस योजना में कृषि विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सूधार विभाग दोनों की सहभागिता है। जिला कृषि पदाधिकारी एवं कृषि विभाग से संबंधित अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारी के स्तर से की जाने वाले कार्यों यथा E-Kyc को अभियान चलाकर सम्पन्न कराया जाय। तत्पश्चात् यदि मामला राजस्व कर्मचारी/अंचलाधिकारी के स्तर से लंबित रहता है तो कारण सहित इसकी जानकारी संयुक्त निदेशक (शष्य) के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय ताकि ससमय उसका निष्पादन कराया जा सके।

• जिला कृषि पदाधिकारी अपने क्षेत्राधीन किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक को प्रतिदिन का लक्ष्य देकर डोर-दूर-डोर सभी किसानों का E-Kyc सत्यापन, किसान रजिस्ट्री एवं किसान आई0डी0 निर्गत करने हेतु निदेशित करेंगे।

• पूर्णिया प्रमंडल के चारों जिलों का प्रगति यद्यपि अन्य जिलों के अपेक्षाकृत संतोषजनक है परन्तु इसमें और गति लाने की आवश्यकता है ताकि विभाग स्तर से निर्धारित समय-सीमा के अन्दर लक्ष्य की प्राप्ति किया जा सके। सभी जिला कृषि पदाधिकारी को अगले सप्ताह तक विभागीय लक्ष्य के विरुद्ध कम से कम 50 प्रतिशत तक उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया।

• महादलित टोला के किसानों को प्राथमिकता देकर उनका फार्मर आई0डी0 निर्गत करने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाय। महादलित टोला के किसानों का प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन अलग से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

• जिला कृषि पदाधिकारी प्रतिदिन अपने स्तर से इस योजना की प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण करेंगे तथा इससे संबंधित प्रगति प्रतिवेदन प्रतिदिन संयुक्त निदेशक (शष्य) के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

हो।-
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक.....दिनांक.....
प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- संयुक्त निदेशक (शष्य), पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अपर सभाहर्ता (राजस्व)/जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

हो।-
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक.....267.....दिनांक.....14-07-2026.....
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सूधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

R. k.
14/11/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।